

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधि

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

बनाम

मु. सं.

11.12.24

आप पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी
की रुक-रुक कर कई बात आताप
लगवाई गयी किन्तु प्रार्थीगत एवं उनके
वकील उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति
में प्रार्थीगतका प्रार्थी पत्र अदत हाजरी में
स्तारित किया जाता है। पत्रावली फौजदारी
शुण्ड हो व बाद तत्काल दाखिल दफ्तार हो

आदेश सुनाया गया

Mank

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा